संख्या -112/मु0म0 27/84-2-2013-1(विविध)/2013 टीसी

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 20 दिसम्बर 2013

विषय जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य आयोग के कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी समस्यायें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन में प्राप्त निम्नलिखित प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें :-

क्र0सं0	आवेदक का नाम एवं पत्र	समस्या/विषय/निवेदन
1	श्री भूरा सिंह पिता श्री मोहन सिंह रावत, म0नं0 12/274, इन्दिरानगर, सेक्टर- 12 लखनऊ का पत्र दिनांक 11.11.2013	श्री मोहन सिंह रावत, अर्दली, जिला उपभोक्ता फोरम, उन्नाव को 08 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान, 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान, 18 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान एवं छठे वेतन आयोग के निर्णय के अनुसार 18 वर्षीय सेवा लाभ दिया जाना।
2	श्री कलन्दर सिंह, रीडर, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र दिनांक 03.10.2013	पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण दिनांक 02.08.2007 से किया जाना।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in